

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या

1/2020

अपीलांत

बनाम

रेस्पोजेन्ट

हडमताराम बनाम हरजीरामजी,
जाति रेबारी, निवासी बावडी,
तहसील आहोर, जिला जालोर

राज.सरकार जरिये उप तहसीलदार
भाद्राजून

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश उप तहसीलदार भाद्राजून दिनांक 30.9.2019
(मुकद्मा नं. 34/2019)

1. श्री नरपतसिंह देवडा, अभिभाषक, अपीलांत की ओर से।
2. श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक, रेस्पोजेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 18.3.2020

1. अपीलांत के अनुसार अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का बावडी द्वारा गैरसायल हडमताराम के विरुद्ध संवत् 2076 में मौजा बावडी के खसरा नम्बर 687 रकबा 0.1410 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर अतिक्रमण करने से धारा 91 की रिपोर्ट उप तहसीलदार भाद्राजून को पेश की जो दर्ज की जाकर गैरसायल को जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया तथा प्रकरण की सुनवाई हेतु प्रथम पेशी 20.9.19 को मुकर्रर थी, पेशी पर गैरसायल उपस्थित था तो उसने साक्ष्य सबूतपेश करने हेतु समय चाहा जिस पर न्यायालय ने साक्ष्य, सबूत पेश करने हेतु अवसर दिया, दिनांक 30.9.19 को मातहत अदालत ने गैरसायल को धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखली व जुर्माना के आदेश दिये जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की है। अपीलांत का विवादित स्थान पर करीब 40 वर्षों से कब्जा व निवास है तथा आसपास सम्पूर्ण रूप से आबादी बस चुकी है तथा उक्त खसरा नम्बर 687 में लोगों ने पक्के बिल्डिंग व मकानात बना रखे हैं उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही अमल में नहीं लायी तथा गैरसायल के विरुद्ध उक्त निर्णय पारित किया है, गैरसायल अनपढ व गरीब व्यक्ति है जो प्रथम पेशी पर हाजिर था लेकिन मातहत अदालत ने उसे कानूनी सहायता से कोई वकील भी उपलब्ध नहीं करवाया तथा न ही उसे आगामी तारीख पेशी से अवगत कराया गया, विवादित

स्थल जहां पर बहुत गहरा गड्ढा था जहां गैरसायल ने मिट्टी डालकर अपने भूखण्ड को पसीने की कमाई से उसे धीरे धीरे समतल करवाया तथा अपने रहने हेतु आशियाना बनाया है। गैरसायल के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय दिया है जबकि उक्त मुकर्रर तारीख पेशी से गैरसायल को अवगत नहीं करवाया गया। गैरसायल को निर्णय की प्रथम बार जानकारी पटवारी हल्का व प्रशासन से हुई जब कब्जा हटाने मौके पर आये व कहा कि इसमें बेदखली के आदेश हुए है तब गैरसायल ने पता कर दिनांक 3.1.2020 को नकले प्राप्त की तब पूरी जानकारी हुई। इस प्रकार ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश है, अतः मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 30.9.2019 निरस्त करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेसन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ निर्णय दिनांक 30.9.19 की नकल पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोजेन्ट को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेसन एक्ट के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोजेन्ट की ओर से कोई प्रत्युत्तर पेश नहीं किया गया है, अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया, अपीलांट का विवादित स्थल पर करीब 40 वर्षों से अधिक समय से कब्जा व निवास है तथा आसपास में सम्पूर्ण रूप से आबादी बस चुकी है। खसरा नम्बर 687 में लोगों ने पक्के बिल्डिंग व मकानात् बना रखे है उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही अमल में नहीं लाई तथा अपीलांट के विरुद्ध उक्त निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 30.9.2019 को निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोजेन्ट की ओर से सरकारी वकील ने बताया कि अपीलांट ने संवत् 2076 मे मौजा बावडी के खसरा नम्बर 687 रकबा 36.28 हेक्टर में से 1410 वर्गमीटर पर पक्का निर्माण व बाडकर अतिक्रमण किया है, भूमि की किस्म गैर मुमकिन ओरण होने से उप तहसीलदार भाद्राजून द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय उपतहसीलदार भाद्राजून की पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैरसायल को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जारी नोटिस स्वयं को दिनांक 17.9.19को तामील

(अपील सं. 1/2020, हडमताराम बनाम राज.सरकार)

-3-

हुआ तथा 20.9.19 की तारीखपेशी तथा 30.9.19 की तारीख पेशी को सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा गैरमुमकिन ओरण की भूमि पर नाजायज कब्जा किया है जो नियमन योग्य नहीं है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाती है।

आदेश

अतःअपीलांट द्वारा उप तहसीलदार भाद्राजून के आदेश दिनांक 30.9.2019 (प्र.सं.34/19) के विरुद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 18.3.2020 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर